न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 13/2023

1 श्रवण कुमार महाजन पुत्र जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2 हकीमुदीन पुत्र हाजी सफी मोहम्मद।
3 इब्राहिम पुत्र हाजी सफी मोहम्मद जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 11.05.2022 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा उनवानी राजस्थान सरकार
बनाम हकीमुदीन वगैरह मुकदमा नम्बर 318/2013
दावा अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री हिदायत हुसैन, अधिवक्ता अपीलांट
2. विद्वान राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 24.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 318/2013 में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी तहसीलदार चिड़ावा द्वारा सुलताना की भूमि खसरा नम्बर 989,990 के सन्दर्भ में 183 का दावा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 96 व 5 के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक दावा बाबत अतिक्रमण हटवाने अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत भूमि हाल खसरा नम्बर 989 रकबा 1.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन कुआ व खसरा नम्बर 930 रकबा 3.37 हैक्टेयर चाही मौजा सुलताना तहत तहसील चिड़ावा स्थित है। उक्त आराजियात रेस्पोडेंट संख्या 1 भूमिधारी है जिसकी खातेदारी मंदिर श्री गोपीनाथजी वाके देह विराजमान खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 द्वारा आवासीय मकान व कृषि के रूप मे काम मे ले रहे है। इस प्रकार से रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 जमीन जैर बहस को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शर्तो को भंग करके व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य कर रहे है। इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को जमीन जैर बहस से बेदखल किया जाना उचित व न्यायोचित था परन्तु इस तथ्य पर विचारण न्यायालय ने गौर नही कर दावा खारिज करने मे भारी कानूनी भूल की है। जमीन जैर बहस की खातेदारी मंदिर श्री गोपीनाथजी वाके देह विराजमान खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से तथा अपीलांट की मंदिर में आस्था होने के कारण उसकी सम्पति की रक्षा करने के आशय से तथा विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय में प्रस्तुत दावा की जानकारी व आदेश की जानकारी दिनांक 28.11.2022 को होने पर अपीलांट ने विचारण न्यायालय के उक्त प्रकरण की नकले लेने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल अपीलांट को दिनांक 02.12.2022 को प्राप्त हुई जिसके तुरन्त बाद अपीलांट यह अपील जानकारी की दिनांक से मय धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ निम्न उजरात के साथ अपील प्रस्तुत कर रहा है। अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ पेश किया है अगर न्यायालय श्रीमानजी अपीलांट की अपील मियाद बाहर मानते है तो अपीलांट को धारा 5 मियाद अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपीलांट की अपील मियाद में मानी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर की है। मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग है। मूर्ति मन्दिर के हितों की रक्षार्थ अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर गोपीनाथजी की खातेदारी में दर्ज होना प्रकट है। मूर्ति मन्दिर के हितो की रक्षार्थ मूर्ति मे आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। अत न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व 96 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में तहसीलदार चिड़ावा द्वारा मूर्ति मन्दिर की भूमि के हितो की रक्षार्थ बेदखली का दावा प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष के कथन व जवाब कथन के आधार पर तनकी कायम कर साक्ष्य लेकर सुनवाई करने के स्थान पर आदेश 7 नियम 11 के तहत दावा मियाद बाहर मानते हुये खारिज किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरित है। विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज होना राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित है। प्रतिवादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

द्वारा इस भूमि के सन्दर्भ में खातेदारी की उदघोषणा करवाई गई हो। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। इसके अभाव मे मूर्ति मन्दिर के हितो की रक्षार्थ प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 में खारिज नही किया जा सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर निस्तारण के निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

24

(बलदेवाराम धीजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर